

## आईडीबीआई बैंक लि.

### पिलर III प्रकटन (30 जून 2022)

#### तालिका डीएफ -2 : पूंजी पर्याप्तता

बैंक संभावित हानि जोखिमों के प्रति कुशन के रूप में तथा अपने हितधारकों, जमाकर्ताओं और लेनदारों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए पूंजी रखता है और उसका प्रबंध करता है. बैंक की भावी पूंजी अपेक्षाओं को इसकी कारोबार रणनीति के अनुसार इसकी वार्षिक कारोबार योजना के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है. बैंक की भावी पूंजी आवश्यकताओं की गणना करने में ब्याज दर, विनिमय दर, नकदी स्थिति जैसे कई कारकों पर विचार करने के बाद बाजार के रुख के बारे में राय तय की जाती है. इसके अलावा, तुलन पत्र संरचना, पोर्टफोलियो संमिश्र, वृद्धि दर तथा संबंधित भुनाई जैसे विस्तृत मानदंडों पर भी विचार किया जाता है. साथ ही सटीक अनुमान दर्शाने के लिए ऋण संरचना और रेटिंग मैट्रिक्स पर भी विचार किया जाता है. दिनांक 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी बासेल III दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक अपने पूंजी अनुपातों की गणना रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार कर रहा है. बासेल III मानदंडों का मुख्य ध्यान टीयर I पूंजी की गुणवत्ता और मात्रा पर है. यथा 30 जून 2022 को बैंक की एकल सीआरएआर की स्थिति निम्नानुसार है:

पूंजी पर्याप्तता अनुपात	
सीईटी 1	17.13%
टीयर 1	17.13%
टीयर 2	2.44%
सीआरएआर	19.57%

#### जोखिम एक्सपोजर एवं मूल्यांकन

वर्तमान व भावी जोखिमों, जो पिलर-I की मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत पूरी तरह कैप्चर नहीं हो पाती है, की पहचान, मात्रा-निर्धारण और अनुमान लगाने के लिए बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति है. इस नीति में ऐसे जोखिमों पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया, बैंक की वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले उनके प्रभाव के आकलन तथा उनके नियंत्रण और न्यूनीकरण के लिए उपयुक्त रणनीति तैयार करना और इस प्रकार पूंजी का पर्याप्त स्तर बनाए रखना शामिल है. यह सुनिश्चित करने के लिए आवधिक रूप से आईसीएएपी अभ्यास किया जाता है कि बैंक के पास अपनी कारोबारी आवश्यकताओं के अनुरूप विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त पूंजी है. बैंक की आईसीएएपी नीति व्यापक दबाव परीक्षण के लिए रोडमैप भी निर्धारित करती है, जिसमें विनियामक दबाव स्थितियाँ शामिल हैं जो बैंक की जोखिम रूपरेखा तथा पूंजी की स्थिति पर ऐसे गंभीर किंतु

सत्याभासी दबाव परिदृश्य के प्रभाव पर अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं. दबाव परीक्षण अभ्यास तिमाही आधार पर किए जाते हैं जिसमें दबाव परीक्षण पर रिज़र्व बैंक के दिनांक 02 दिसंबर 2013 के दिशानिर्देशों को शामिल किया गया है. बैंक की लाभप्रदता और पूंजी पर्याप्तता पर दबाव परिदृश्य के प्रभावों का विश्लेषण किया जाता है. दबाव परीक्षण रूपरेखा के अंतर्गत बैंक की पूंजी स्थिति और लाभप्रदता पर सकल एनपीए में और अधिक बढ़ोतरी, एनपीए की एनएफबी संबंधी सुविधाओं के क्रिस्टलीकरण और तकनीकी रूप से बड़े खाते में डाले गए खातों एवं अतरल प्रतिभूतियों के प्रभाव को समझने के लिए परिदृश्य विश्लेषण शामिल है. विलोम दबाव परीक्षण प्रणाली का उपयोग दबाव के उस स्तर को जानने के लिए किया जाता है जो पूंजी को प्रभावित कर इसे पूर्व-निर्धारित स्तर पर ले जाए. इस अभ्यास के परिणाम उपयुक्त बोर्ड स्तरीय समिति (यों) को सूचित किए जाते हैं.

दिनांक 30 जून 2022 को समेकित सीआरएआर की स्थिति निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

पूंजी अपेक्षा	
<b>ऋण जोखिम पूंजी :</b>	
मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो	14101.70
प्रतिभूतिकरण	0.00
<b>बाजार जोखिम पूंजी:</b>	
मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण	774.43
ब्याज दर जोखिम	387.33
विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	27.00
इक्विटी जोखिम	359.96
डेरिवेटिव पर (एफएक्स विकल्प)	0.14
<b>परिचालन जोखिम पूंजी :</b>	
मूल संकेतक दृष्टिकोण	1,806.95
सीसीबी को छोड़ कर कुल अपेक्षित न्यूनतम पूंजी	13,940.16
<b>सामान्य इक्विटी टीयर 1, टीयर 1 एवं कुल पूंजी का अनुपात :</b>	
सीईटी 1	17.26%
टीयर 1	17.26%
टीयर 2	2.43%
<b>कुल (टीयर 1 + टीयर 2)</b>	<b>19.69%</b>

### **डीएफ-3क: ऋण जोखिम: सामान्य प्रकटन:**

ऋण जोखिम एक प्रकार का हानि जोखिम है जो प्रतिपक्षी द्वारा वित्तीय संविदा की शर्तों के अनुसार उसकी देयताओं के दायित्वों को पूरा न करने अथवा उसकी चूक के कारण उत्पन्न हो सकता है। ऐसी किसी भी घटना का बैंक के वित्तीय कार्य-निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैंक को अपने उधार, निवेश तथा संविदागत व्यवस्थाओं के ज़रिए ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है। बैंक के समक्ष आने वाले ऋण जोखिमों के प्रभाव का सामना करने के लिए एक सुदृढ़ जोखिम अभिशासन ढांचा बनाया गया है। यह ढांचा जोखिमों के स्वामित्व और प्रबंधन के बारे में भूमिकाओं की स्पष्ट परिभाषा और साथ ही जिम्मेदारियों का निर्धारण प्रस्तुत करता है। रिपोर्टिंग संबंध तथा सूचना प्रबंध प्रणाली (एमआईएस) व्यवस्था के बारे में पदानुक्रम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए जिम्मेदारी निर्धारण को और मजबूत बनाया गया है।

#### **बैंक की ऋण जोखिम प्रबंध नीतियां**

बैंक ने कार्यविधियों और प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से निरूपित करने के उद्देश्य से विभिन्न जोखिम प्रबंध नीतियां, प्रक्रियाएं तथा मानक तैयार तथा कार्यान्वित किए हैं जो सभी संबंधित कारोबारी समूहों के लिए बाध्यकारी हैं। बैंक की ऋण नीति एक उच्च गुणवत्ता पूर्ण ऋण पोर्टफोलियो बनाने, सुस्थिर करने एवं उसे बनाए रखने के उद्देश्य से निर्देशित होती है। नीति दस्तावेज़ विभिन्न कारोबारी क्षेत्रों को ऋण देने के लिए व्यापक दृष्टिकोण और मार्गदर्शन देता है, इसके अलावा ऋण प्रक्रिया, ऋण जोखिम प्रबंधन, नियंत्रण और निगरानी पर मार्गदर्शन के साथ-साथ आस्ति गुणवत्ता और साथ ही जोखिम समायोजित रिटर्न को बनाए रखने पर जोर देता है। यह नीति सभी प्रतिपक्षों, कारोबारी समूहों, उद्योगों, भौगोलिक क्षेत्रों तथा सेक्टरों में पोर्टफोलियो के विशाखन जैसे सूक्ष्म कारकों पर भी ध्यान देती है। यह नीति मौजूदा कारोबार परिदृश्य तथा विनियामक शर्तों के आलोक में कॉरपोरेट ग्राहकों को उधार देने के प्रति बैंक का दृष्टिकोण प्रदर्शित करती है।

बैंक की ऋण नीति उसके खुदरा आस्तियों के पोर्टफोलियो के मानकों का भी विवरण देती है। यह नीति विभिन्न खुदरा उत्पादों के लिए वैयक्तिक उत्पाद प्रोग्राम दिशानिर्देशों के प्रतिपादन को भी संचालित करती है। ऋण नीति की उस परिवेश (विनियामक एवं बाजार) की गति की प्रत्याशा में या उसके प्रत्युत्तर में वार्षिक समीक्षा की जाती है जिसमें बैंक परिचालन करता है या रणनीतिक दिशा, जोखिम सहनशीलता आदि में परिवर्तन करता है। यह नीति बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है।

ऋण जोखिम के संकेंद्रण से बचने के लिए, बैंक ने एकल उधारकर्ता, समूहों से संबंधित एक्सपोजर, संवेदनशील क्षेत्र के एक्सपोजरों, उद्योग एक्सपोजर और अप्रतिभूत एक्सपोजर के बारे में आंतरिक दिशानिर्देश लागू किया है। नये कारोबार प्राप्त करने के लिए और नये ग्राहकों की प्रारंभिक जांच के लिए भी मानदंड निर्दिष्ट किए गए हैं। बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, रियल एस्टेट, पूंजी बाजार, पण्य, रत्न और आभूषण तथा बुनियादी क्षेत्र सहित किसी भी उद्योग को ऋण देने

के संबंध में रिज़र्व बैंक, सेबी तथा अन्य विनियामक निकायों द्वारा जारी किए गए निदेशों का पालन करता है। इसके अलावा, विवेकपूर्ण विचारों के आधार पर कुछ विशिष्ट खंडों के लिए आंतरिक सीमाएं भी निर्धारित की गयी हैं।

बैंक के पास देशी तथा अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में एक्सपोजर से संबंधित प्रतिपक्षी जोखिम पर और विभिन्न देशों में ऋण-निवेश से संबंधित देश जोखिम प्रबंधन पर विशिष्ट नीतियां हैं। नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप, बैंक शुद्ध लेखा पद्धति का पालन करते हुए बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क (एलईएफ) के तहत एक्सपोजर की गणना भी करता है।

### **ऋण जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया :**

ऋण प्रस्तावों की मंजूरी निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित प्रत्यायोजन संरचना के अनुसार की जाती है। बैंक द्वारा प्रयुक्त ऋण जोखिम रेटिंग ऋण प्रस्तावों का मूल्यांकन करने का एक मुख्य साधन है। बैंक ने आंतरिक रेटिंग मॉडल जोखिम मूल्यांकन मॉड्यूल (रैम) को कार्यान्वित किया है, जोकि रेटिंग के लिए एक द्विआयामी मॉड्यूल अर्थात् बाध्यताधारी तथा सुविधा है। उधारकर्ता की श्रेणी और विशेषता के अनुसार विभिन्न रेटिंग मॉडलों के लिए वित्तीय, कारोबार, प्रबंधन तथा उद्योग जैसे विभिन्न जोखिम मानदंडों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रस्ताव की गुणवत्ता व मात्रात्मक जानकारी का ऋण जोखिम विश्लेषक द्वारा मूल्यांकन किया जाता है ताकि उधारकर्ता की ऋण रेटिंग का पता लगाया जा सके। एक निश्चित प्रारंभिक राशि से अधिक के प्रस्तावों की रेटिंग बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा केन्द्रीकृत रूप में की जाती है। खुदरा उत्पादों के ऋण का अनुमोदन पृथक खुदरा उत्पाद दिशानिर्देश से संचालित होता है तथा प्रत्येक प्रस्ताव का मूल्यांकन स्कोरिंग मॉडल के जरिए किया जाता है। उपर्युक्त के अलावा, एक ऋण लेखा-परीक्षा प्रक्रिया भी लागू की गई है जिसका उद्देश्य ऋणों की समीक्षा करना है और यह ऋण मूल्यांकन, निगरानी तथा न्यूनीकरण प्रक्रिया की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रभावी साधन है।

### **ऋण पोर्टफोलियो निगरानी :**

आंतरिक और विनियामक सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए और अनुचित संकेंद्रण (उधारकर्ता या उद्योग) से बचने के लिए बैंक के ऋण पोर्टफोलियो की नियमित आधार पर निगरानी की जाती है। इसे उच्च प्रबंधन को आवधिक आधार पर सूचित किया जाता है। इसके अलावा, आस्ति पोर्टफोलियो की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने दो आयामी रणनीति अर्थात् आस्ति फिसलन घटना की रोकथाम और एनपीए का समाधान/ वसूली, अपनाई है। इस संबंध में बैंक की एनपीए नीति है जिसमें गहन निगरानी, लगातार अनुवर्ती कार्रवाई और उचित सक्रिय सुधारात्मक कार्रवाई योजना द्वारा मौजूदा मानक आस्तियों की गिरावट की रोकथाम और एनपीए की वसूली/ समाधान के लिए दिशानिर्देश तय किए गए हैं। बैंक ने महामारी से उत्पन्न तनाव को कम करने के लिए अपने कर्जदारों को कोविड राहत पैकेज के तहत दी जाने वाली नियामक छूट का विस्तार किया है।

### अनर्जक आस्तियों की परिभाषाएं :

बैंक अपने अग्रिमों का वर्गीकरण रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार अर्जक और अनर्जक अग्रिमों में करता है. अनर्जक आस्ति (एनपीए) ऐसा ऋण या अग्रिम है, जहां मीयादी ऋण के मामले में ब्याज और/ अथवा मूलधन की किस्त 90 से अधिक दिन से अतिदेय हो और खाता ओवरड्राफ्ट / नकदी ऋण (ओडी / सीसी) के संबंध में 'अनियमित' रहता है. यदि खाते में बकाया राशि 90 दिनों के लिए मंजूर सीमा / आहरण अधिकार से लगातार अधिक रहती हो, तो उसे भी 'अनियमित' माना जाता है. जिन मामलों में मुख्य परिचालन खाते में बकाया राशि मंजूर सीमा/ आहरण अधिकार से कम है, किंतु उनमें तुलन पत्र की तारीख तक लगातार 90 दिन तक कोई राशि जमा नहीं होती है या जमा की गई राशियां इस अवधि के दौरान नामे किए गए ब्याज के लिए पर्याप्त नहीं हैं, तो ऐसे खातों को भी 'अनियमित' माना जाता है. अन्य एनपीए निम्नानुसार हैं:

- क्रय किए गए और भुनाए गए बिलों के मामले में बिल 90 से अधिक दिन से 'अतिदेय' हो,
- अल्पावधि कृषि ऋण के मामले में ब्याज अथवा मूलधन की किस्तों की अदायगी दो फसल मौसम से अतिदेय हो,
- दीर्घावधि कृषि ऋण के मामले में ब्याज अथवा मूलधन की किस्तों की अदायगी एक फसल मौसम से अतिदेय हो,
- भारतीय रिज़र्व बैंक (मानक आस्तियों का प्रतिभूतिकरण) निदेश, 2021 के अनुसार प्रतिभूतिकृत लेनदेन के संबंध में चलनिधि सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहती है,
- डेरिवेटिव लेनदेन के मामले में डेरिवेटिव अनुबंध के सकारात्मक मार्क-टू-मार्केट मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिदेय प्राप्य, यदि ये भुगतान के लिए विनिर्दिष्ट देय तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए अप्रदत्त रहते हैं.
- ब्याज भुगतान के मामले में, बैंकों को कसी खाते के एनपीए के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए, यदि किसी तिमाही के दौरान देय और प्रभारित किया गया ब्याज तिमाही के अंत से 90 दिनों के भीतर पूरी तरह से सेवाकृत नहीं हैं.

एनपीए को आगे अवमानक, संदिग्ध एवं हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. अवमानक आस्ति उसे कहा जाता है, जो 12 माह या इससे कम अवधि से एनपीए हो. किसी आस्ति को संदिग्ध तब माना जाता है, जब यह अवमानक आस्ति की श्रेणी में 12 माह से अधिक अवधि से हो. हानि आस्ति उसे कहा जाता है जो बैंक द्वारा अथवा आंतरिक / बाह्य लेखा परीक्षकों द्वारा अथवा रिज़र्व बैंक के निरीक्षण के दौरान हानि आस्ति के रूप में अभिनिर्धारित की गई हो किन्तु राशि को पूर्णतः बट्टे खाते नहीं डाला गया हो.

प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में, जहां ब्याज/ मूलधन बकाया हो, बैंक ऐसी प्रतिभूतियों पर आय को गणना में शामिल नहीं करता है तथा निवेश के मूल्य में कमी के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रावधानीकरण मानदंडों के अनुसार उचित प्रावधान करता है.

ख और ग. कुल सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर एवं एक्सपोजर का भौगोलिक वितरण: निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	निधि आधारित	गैर-निधि आधारित	कुल
देशी	179418.77	89552.40	268971.17
विदेशी	8014.59	शून्य	8014.59
<b>कुल सकल ऋण एक्सपोजर*</b>	<b>187433.36</b>	<b>89552.40</b>	<b>276985.76</b>

\* ऋण एक्सपोजर में निवेश शामिल नहीं हैं

घ. सकल ऋण एक्सपोजर का उद्योग के प्रकार के अनुसार वितरण : निधि व गैर-निधि आधारित:

(राशि ₹ करोड़ में)

उद्योग	निधि आधारित ऋण एक्सपोजर	गैर-निधि आधारित ऋण एक्सपोजर	कुल ऋण एक्सपोजर*
कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	25594.01	178.54	25772.55
परिवहन परिचालक	576.42	156.74	733.16
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	356.08	444.97	801.05
पर्यटन, होटल और रेस्तराँ,	936.89	33.06	969.94
शिपिंग	66.79	142.29	209.08
पेशेवर सेवाएं	1635.35	371.11	2006.47
व्यापार	13943.02	902.59	14845.60
वाणिज्यिक स्थावर सम्पदा	1110.46	373.43	1483.89
एनबीएफसी	7457.43	609.88	8067.31
अन्य सेवाएँ	3133.07	3815.33	6948.39
आवास ऋण (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र आवास सहित)	55084.51	7.55	55092.06
उपभोक्ता वस्तुएं	13.89	0.20	14.08

उद्योग	निधि आधारित ऋण एक्सपोजर	गैर-निधि आधारित ऋण एक्सपोजर	कुल ऋण एक्सपोजर*
क्रेडिट कार्ड प्राप्य राशियाँ	369.26	1.90	371.16
वाहन / ऑटो ऋण	1630.68	23.42	1654.10
शिक्षा ऋण	1446.26	0.14	1446.41
सावधि जमाराशियों (एफ़सीएनआर (बी) आदि सहित) पर अग्रिम	2.42	0.00	2.42
अन्य खुदरा ऋण	3720.97	96.88	3817.84
खनन और उत्खनन	6141.27	1104.70	7245.96
खाद्य प्रसंस्करण	3544.50	517.94	4062.44
पेय पदार्थ (चाय और कॉफी को छोड़कर) और तंबाकू	158.25	67.41	225.66
वस्त्र	3215.78	989.33	4205.11
चमड़ा और चमड़ा उत्पाद	90.67	22.35	113.02
लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद	62.40	44.63	107.03
कागज और कागज उत्पाद	868.73	516.24	1384.97
पेट्रोलियम (गैर-इन्फ्रा), कोयला उत्पाद (गैर-खनन) और नाभिकीय ईंधन	1788.49	3545.08	5333.57
रसायन और रसायन उत्पाद (डाई, पेंट आदि)	5669.42	3836.54	9505.95
रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	1145.83	435.43	1581.26
काँच और काँच के बर्तन	38.38	3.80	42.18
सीमेंट और सीमेंट उत्पाद	1462.06	1805.99	3268.04
मूल धातु और धातु उत्पाद	5426.02	9628.07	15054.08
सभी इंजीनियरिंग	6199.97	9834.67	16034.64
वाहन, वाहन पुर्जे और यातायात उपकरण	825.84	1391.75	2217.58
रत्न एवं आभूषण	1848.83	39.07	1887.90
निर्माण	4045.35	1273.51	5318.87

उद्योग	निधि आधारित ऋण एक्सपोजर	गैर-निधि आधारित ऋण एक्सपोजर	कुल ऋण एक्सपोजर*
अवशिष्ट अन्य अग्रिम (सकल अग्रिम के साथ मिलान करने के लिए)	4125.81	16226.58	20352.38
इन्फ्रास्ट्रक्चर	23150.76	30969.71	54120.47
अन्य उद्योग	547.52	141.60	689.12
<b>कुल</b>	<b>187433.36</b>	<b>89552.40</b>	<b>276985.76</b>

\* ऋण एक्सपोजर में निवेश शामिल नहीं हैं

सकल ऋण एक्सपोजर में 5% से अधिक हिस्सा रखने वाले उद्योग \*

(राशि ₹ करोड़ में)

उद्योग का नाम	निधि आधारित	गैर-निधि आधारित	कुल	%
इन्फ्रास्ट्रक्चर	23,150.76	30,969.71	54,120.47	19.54%
आवास ऋण (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र आवास सहित)	55,084.51	7.55	55,092.06	19.89%
कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	25,594.01	178.54	25,772.55	9.30%
मूल धातु और धातु उत्पाद	5,426.02	9,628.07	15,054.08	5.43%
सभी इंजीनियरिंग	6,199.97	9,834.67	16,034.64	5.79%
व्यापार	13,943.02	902.59	14,845.60	5.36%

\* ऋण एक्सपोजर में निवेश शामिल नहीं हैं

ड. आस्तियों की बची हुई संविदात्मक परिपक्वता का विश्लेषण:

(राशि रु. करोड़ में)

परिपक्वता अवधि	30 जून 2022 को आस्तियां				
	रिज़र्व बैंक व अन्य बैंकों के पास नकदी एवं जमा शेष	निवेश	अग्रिम	अचल आस्तियां एवं अन्य आस्तियां	कुल आस्तियां
1 दिन	5,292.19	18,232.62	1,312.42	5.77	24,843.00
2 से 7 दिन	203.38	12,568.29	1,134.27	100.95	14,006.89
8 से 14 दिन	2,555.14	826.73	1,548.42	43.67	4,973.96
15 से 30 दिन	2,363.04	858.05	1,550.89	2,031.07	6,803.03
31 दिन से 2 माह तक	3,258.01	1,346.21	3,500.49	1,047.19	9,151.91
2 माह से अधिक व 3 माह तक	1,469.89	1,496.03	3,414.41	461.82	6,842.15
3 माह से अधिक व 6 माह तक	1,569.34	4,139.59	6,542.48	1,235.08	13,486.48
6 माह से अधिक व 1 वर्ष तक	2,431.22	8,036.76	10,797.01	1,384.38	22,649.37
1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक	5,763.51	24,928.47	44,590.61	3,130.05	78,412.65
3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक	336.85	4,355.62	11,248.78	22,287.05	38,228.29
5 वर्ष से अधिक	179.89	11,433.93	52,406.09	12,984.02	77,003.93
<b>कुल</b>	<b>25,422.46</b>	<b>88,222.29</b>	<b>1,38,045.85</b>	<b>44,711.05</b>	<b>2,96,401.66</b>

च, छ एवं ज. अनर्जक आस्तियां (सकल) एवं निवल अनर्जक आस्तियां तथा अनर्जक आस्तियों का अनुपात :

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	
कुल अग्रिम	1,70,390.02
निवल अग्रिम	1,38,045.85
<b>यथा 30 जून 2022 को सकल अनर्जक आस्तियां</b>	
क. अवमानक	1,165.95
ख. संदिग्ध 1	1,870.30
ग. संदिग्ध 2	1,705.00
घ. संदिग्ध 3	6,281.66
ङ. हानि	22,885.40
कुल	
एनपीए प्रावधान *	32,176.21
निवल एनपीए	1,732.11
<b>एनपीए अनुपात</b>	
सकल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए (%)	19.90%
निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए (%)	1.25%

\* एनपीए, आईसीए प्रावधान व एनसीएलटी पर एनपीवी हानि सहित.

झ. अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में उतार-चढ़ाव:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण (सकल एनपीए)	यथा 30 जून 2022 को
01 अप्रैल 2022 को आरंभिक शेष	34,114.83
परिवर्धन	1,215.82
बट्टे खाते	530.63
कटौतियां	891.71
अंतिम शेष	33,908.32

ञ. क) विशिष्ट एनपीए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	यथा 30 जून 2022 को
	विशिष्ट प्रावधान *
1 अप्रैल 2022 को आरंभिक शेष	32,258.67
जोड़ें : अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	1,113.28
घटाएं: प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर में अंतरित	0.00
घटाएं: बट्टे खाते डाली गई राशि	530.63
घटाएं: अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन	665.12
अंतिम शेष	32,176.21

\* एनपीए, आईसीए प्रावधान व एनसीएलटी पर एनपीवी हानि सहित.

ख) सामान्य एनपीए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	यथा 30 जून 2022 को
	सामान्य प्रावधान
1 अप्रैल 2022 को आरंभिक शेष	1,387.31
जोड़ें : अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	49.99
घटाएं: प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर में अंतरित	0
घटाएं: बट्टे खाते डाली गई राशि	0
घटाएं: अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन	(38.00)
अंतिम शेष	1,475.31

बट्टे खाते डाले गए खातों से की गई वसूलियाँ जो सीधे आय विवरण में दर्ज की गई हैं, 30 जून 2022 तिमाही के लिए ₹ 40.60 करोड़ हैं.

ट. एवं ठ. यथा 30 जून 2022 को अनर्जक निवेशों (एनपीआई) की स्थिति

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	यथा 30 जून 2022 को
अनर्जक निवेशों (एनपीआई) की राशि	1,255.67
अनर्जक निवेशों के लिए धारित प्रावधानों की राशि	1,255.64

ड. निवेशों पर मूल्यहास के लिए प्रावधानों का घट-बढ़ (तिमाही दर तिमाही आधार पर)

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	यथा 30 जून 2022 को
1 अप्रैल 2022 को आरंभिक शेष	6,495.33
अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	500.93
अतिरिक्त प्रावधानों का बट्टे खाते डालना/ पुनरांकन	1,378.91
अंतिम शेष	5,617.34

ढ. प्रमुख उद्योगवार एनपीए, विशिष्ट प्रावधान एवं बट्टे खाते \*

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	यथा 30 जून 2022 को		मौजूदा अवधि के दौरान	
	सकल एनपीए	विशिष्ट प्रावधान (एनपीए)	विशिष्ट प्रावधान (एनपीए)	बट्टे खाते डाले गए
शीर्ष 5 उद्योगों में एनपीए और किए गए विशिष्ट प्रावधान	19,619.29	19,524.65	शून्य	398.79

\* उद्योगों में सकल ऋण एक्सपोजर के आधार पर चिह्नित उद्योग.

ण. क) एनपीए एवं विशिष्ट प्रावधान विश्लेषण की भौगोलिक स्थिति :

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	यथा 30 जून 2022 को		
	देशी	विदेशी	कुल
सकल एनपीए	29,905.58	4,002.74	33,908.32
एनपीए के लिए विशिष्ट प्रावधान	28,173.47	4,002.74	32,176.21

## ख) सामान्य प्रावधान विश्लेषण की भौगोलिक स्थिति :

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	यथा 30 जून 2022 को		
	देशी	विदेशी	कुल
सामान्य प्रावधान	1,465.57	9.74	1,475.31

तालिका डीएफ-4: ऋण जोखिम : मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो का प्रकटन

बैंक पूंजी गणना के लिए अपने एक्सपोजरों पर जोखिम भार की गणना करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट बाह्य ऋण रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई रेटिंग का प्रयोग करता है. बासेल दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे देशी ऋण रेटिंग एजेंसियों अर्थात् क्रिसिल, केयर, इक्रा, इंडिया रेटिंग्स, ब्रिकवर्क, एसीयूईटीआईई, इंफोमेरिक्स और अंतर्राष्ट्रीय ऋण रेटिंग एजेंसियों फिच, मूडीज़ तथा स्टैंडर्ड एंड पूअर्स द्वारा प्रदान की गई बाह्य रेटिंग का उपयोग करें. प्रदत्त रेटिंग का प्रयोग तुलन-पत्र में एवं तुलन-पत्र से इतर सभी पात्र एक्सपोजरों के लिए किया जाता है. केवल उन्हीं रेटिंग्स पर विचार किया जाता है जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं तथा रेटिंग एजेंसियों के मासिक बुलेटिन के अनुसार लागू हैं.

जोखिम भारिता के प्रयोजन हेतु पात्र होने के लिए बैंक की ऋण जोखिम एक्सपोजर की संपूर्ण राशि को बाह्य ऋण आकलन हेतु हिसाब में लिया जाता है. बैंक एक वर्ष या इससे कम की संविदात्मक परिपक्वता वाले एक्सपोजरों के लिए अल्पावधि रेटिंग तथा एक वर्ष से अधिक वाले एक्सपोजरों के लिए दीर्घावधि रेटिंग का प्रयोग करता है.

किसी कॉरपोरेट एक्सपोजर के लिए रेटिंग प्रदान करने और उपयुक्त जोखिम भार लागू करने की प्रक्रिया रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप है. ऐसे मामले, जहाँ दो रेटिंग हैं, अलग-अलग जोखिम भार को आकर्षित करते हुए, उच्च जोखिम भार लागू किया जाता है. तीन या अधिक रेटिंग के मामले में द्वितीय निम्नतर रेटिंग भार लागू किया जाता है. 3 प्रमुख जोखिम समूहों में ऋण जोखिम न्यूनीकरण एवं कटौती के पश्चात् बैंकिंग बही में आस्तियों की निवल बकाया राशि और गैर-निधि आधारित सुविधाओं का विश्लेषण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

(राशि ₹ करोड़ में)

जोखिम-भार	निवल एक्सपोजर
100% से कम	2,39,346.46
100% पर	38,112.87
100% से अधिक	16,104.87
पूंजी से कटौती	46.10
<b>कुल</b>	<b>2,93,610.29</b>

**लीवरेज अनुपात :** लीवरेज अनुपात को जोखिम आधारित पूंजी आवश्यकताओं के लिए एक विश्वसनीय पूरक उपाय के रूप में कार्य करने के लिए अंशांकित किया जाता है और इसे पूंजी माप (अंश) के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो जोखिम माप (हर) से विभाजित होता है, इस अनुपात को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है. आरबीआई 3.5% के सांकेतिक लीवरेज अनुपात के प्रति अलग-अलग बैंकों की निगरानी करेगा.

बैंक के लीवरेज अनुपात की गणना नीचे दिये गए आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मद	यथा 30 जून 2022 को (समेकित)	यथा 30 जून 2022 को (एकल)
1.	टीयर-1 पूंजी	26,737.66	26,348.69
2.	लीवरेज अनुपात के अनुसार कुल एक्सपोजर	3,42,492.22	3,41,703.41
3.	बासेल III लीवरेज अनुपात	7.81%	7.71%

\*\*\*\*\*